न्यायालय सेशन न्यायाधीश, राजसमंद (राज0)

पीठासीन न्यायाधीश : अल्का शर्मा, आर.जे.एस.

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध दाण्डिक प्रकरण सं. – 142/2026

(CIS No. 180/2026)

(CNR No. RJRS010004752026)

(प्र.सू.रि.सं. – 310/2025, पुलिस थाना भीम)

हेमेन्द्र सिंह उर्फ हेमसिंह पुत्र प्रभुसिंह, निवासी बली जस्साखेड़ा, पुलिस थाना भीम, जिला राजसमंद (राज.)।

..... प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक

..... अभियोगी

जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(अपराध अन्तर्गत धारा 140(3), 115(2), 127(2), 117(2), 3(5) बी.एन.एस.)

उपस्थित :–

1. श्री सुनील पंवार, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. श्री रामलाल जाट, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

: आदेश :

दिनाँक : 23.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत पुलिस थाना भीम की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 310/2025 के प्रकरण में सुनवाई हेतु हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति लोक अभियोजक को दिलाई जाकर केस डायरी तलब कर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से बहस की गई कि उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, उसका अपराध से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 16.03.2025 को गिरफ्तार कर लिया गया हैं, तब से वे निरंतर अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त से कोई अनुसंधान या बरामदगी किया जाना शेष नहीं है। इस प्रकरण में सहअभियुक्तगण भरतसिंह उर्फ नैनासिंह व गोपालसिंह उर्फ गोटू की जमानत याचिका पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई

आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगेगा। लिहाजा, प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादी का अपहरण कर उसके साथ मारपीट कारित कर उसे चोटे पहुंचाने का आरोप है, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है। लिहाजा, प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

3. हमने उभय पक्षकारान् की बहस सुनी तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 29.11.2025 को परिवादी भूपेन्द्र ने थानाधिकारी, पुलिस थाना भीम के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 27.11.2025 को परिवादी ग्राम नन्दावट स्थित स्वयं के मामा के घर गया था। दिनांक 28.11.2025 की रात्रि 08.00 बजे परिवादी धोटी रोड़ पर स्थित होटल के बाहर बैठा था, तभी परिवादी के मोबाईल पर नैनासिंह ने दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क कर भीम स्थित कॉलेज के समीप बजरी डालने को कहा व परिवादी की अवस्थिति के संदर्भवंश पूछा, तो परिवादी ने स्वयं को धोटी रोड़ पर स्थित होटल के बाहर होना वर्णित किया, जिसके कुछ समयोपरान्त नैनूसिंह व किशोरसिंह एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर उक्त स्थान पर आए व परिवादी को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर कूकड़ा वन की ओर ले गए, जहां नैनासिंह के अन्य छह साथीगण दो अन्य मोटरसाइकिल्स् पर सवार होकर आए व सभी ने परिवादी के साथ लातों–मुक्कों से मारपीट कर परिवादी के पैर पर पत्थर मारे, परिवादी से माफी मंगवाई, परिवादी को नग्न किया। इसके उपरांत परिवादी के परिजनों को जानकारी होने पर नैनासिंह व उसके साथियों ने परिवादी को कपड़े पहनाकर, मारपीट करते हुए टोगी के समीपस्थ राष्ट्रीय राजमार्ग पर डाला व चले गए। परिवादी का नैनासिंह, किशोरसिंह, सुनीलसिंह व अन्य तीन–चार लड़कों ने अपहरण कर, बंधक बनाकर, अज्ञात स्थान पर ले जाकर मारपीट की, पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया,

धमकियां दी..... इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना भीम द्वारा प्रकरण संख्या 310/2025, अपराध धारा 189(2), 140(3), 127(2), 115(2) बी.एन.एस. में पंजीबद्ध कर दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 140(3), 127(2), 115(2), 117(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में प्रमाणित पाया गया। प्रकरण वर्तमान में अनुसंधानाधीन है।

इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी का जबरदस्ती अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने का आरोप होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को अनुसंधान के दौरान दिनांक 16.03.2026 को गिरफ्तार किया गया था, तब से प्रार्थी/अभियुक्त निरंतर अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की कोई बरामदगी या अनुसंधान बकाया नहीं होने का तथ्य पुलिस तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट होता है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई भी आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होना केस डायरी के अवलोकन से जाहिर आया है, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम दृष्ट्या अपराध है। प्रकरण के शेष अनुसंधान व उसके पश्चात् अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में सहअभियुक्तगण भरतसिंह उर्फ नैनासिंह व गोपालसिंह उर्फ गोटू की जमानत याचिका विविध दाण्डिक प्रकरण संख्या 638/2025 दिनांक 10.12.2025 को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है तथा प्रार्थी/अभियुक्त का मामला भी उक्त सहअभियुक्तगण से भिन्न प्रकृति का नहीं प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समग्र तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी व राय व्यक्त किये बिना, हम प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

4. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **हेमेन्द्र सिंह उर्फ हेमसिंह** पुत्र प्रभूसिंह, निवासी बली जस्साखेड़ा, पुलिस थाना भीम, जिला राजसमंद (राज.) की ओर से पुलिस थाना भीम की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 310/2025 के प्रकरण में,

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से 1,00,000/– रुपये का स्वयं का बंध–पत्र एवं 50,000–50,000/– रुपये की सुदृढ़ दो प्रतिभू न्यायालय में नियमित उपस्थिति हेतु विचारण न्यायालय के समाधानप्रद व संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे और अन्य किसी प्रकरण में वांछित ना हो तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(अल्का शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

5. आदेश आज दिनाँक **23.03.2026** को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अल्का शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

SOMENDRA SHARMA
Digitally signed by SOMENDRA SHARMA
Date: 2026.03.24 14:50:43 +05'30'